कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)
(राजस्व–द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ–6( ) उपा.राज.–द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज./2023/35 दिनांक:– 31/5/2023

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या एस.बी. 54, गांधी नगर विस्तार योजना, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री बी.एल. शर्मा (आई.ए.एस) के नाम से क्षेत्रफल 1333.3 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। दिनांक 01.04.1956 को श्री भंवर लाल शर्मा की मृत्यु उपरान्त दिनांक 30.03.1961 को राजस्थान सरकार द्वारा उक्त भूखण्ड का मॉगेज डीड सौभाग्य सुन्दरी के नाम से जारी की गई। दिनांक 29.01.1993 को श्रीमती सौभाग्य सुन्दरी पत्नी स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री हर्ष कुमार शर्मा के मध्य उक्त भूखण्ड का पारिवारिक समझौता हुआ। दिनांक 31.05.1997 को जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या एस.बी. 54–सी, बापू नगर, जयपुर क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज श्री हर्ष कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.एल. शर्मा के नाम से उपविभाजन पत्र एवं नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। दिनांक 04.03.2008 को श्रीमती सौभाग्य सुन्दरी की मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड मॉगेज डीड, पारिवारिक समझौता पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा के पक्ष में क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज का उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व–द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।
श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा, पता– एस.बी. 54, पियूष मार्ग, टोंक रोड़, बापू नगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने खर्चे से सार्वजनिक सूचना 3'x3' इंच साईज एवं दृष्टान्त फोन्ट साईज में आमजन में प्रचलित राज्य स्तरीय समाचार–पत्र में प्रकाशित करवाकर समाचार–पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का श्रम करें।

उपायुक्त (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर